



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ09001

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area,
अजमेर – 305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4177/MCDR-MiFLOLST/08/2023-AJM-IBM-RO_AJM

दिनांक :

प्रेषित: एजेंट, जय सुरजना चूनापत्थर खान,
मेसर्स बिरला सीमेंट वर्क्स (बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड की ईकाई),
माधव नगर, सीमेंट फैक्ट्री, चंदेरिया
जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312 021
ईमेल- mines@birlacement.com, kashi.singh@birlacorp.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Jai Surjana Limestone Mine** (Lease area 588.59 Hect.) situated in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 01.12.2024 by the undersigned in presence of Shri Shri Kashi Kant Singh, Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification of Review of Mining Plan (Approved on 20.12.2023): - 1) During the year 2023-24, total 273174.22T (which is 5% of total ROM quantity 5463484.80T) mineral reject generation was proposed whereas actual mineral reject generated 4200T(which is 0.11% of total ROM quantity 3734500T), it shows that no proper assessment of mineral reject generation has been carried out. 2) Large quantity of limestone boulders were laying along the haul road going towards the Nagri Pit.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं ।
- आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तौड़गढ़ ।
- रक्षित पत्रावली ।